

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

12

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

मुख्य बिन्दु

- मनरेगा—वित्तीय वर्ष 2020–21 में 30.60 लाख परिवारों को रोजगार, 1,840.93 लाख मानव दिवस सृजित जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 50 है। वर्ष 2020–21 में 6,11,991 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2021–22 में सितम्बर तक 22.46 लाख परिवारों को रोजगार, 737.82 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 50 है। वर्ष 2021–22 में सितम्बर तक 32,405 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2021–22 (सितंबर) में उपलब्ध राशि 2,679.20 करोड़ रु. से 2,270.06 करोड़ रु. व्यय।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :— वर्ष 2020–21 में सामुदायिक निवेश निधि से 4,342 स्व-सहायता समूहों को रु. 2,605.18 लाख, वर्ष 2021–22 में सितम्बर तक 14,447 समूहों को रु. 8,669.20 लाख ऋण प्रदाय।
- चक्रिय निधि से 2020–21 में 19,163 स्व-सहायता समूहों को रु. 2,874.45 लाख, 2021–22 में सितम्बर तक 24,129 समूहों को रु. 3,619.35 लाख प्रदाय।
- बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 66,539 स्व-सहायता समूहों को रु. 63,362.00 लाख तथा वर्ष 2021–22 में सितम्बर तक 19,764 समूहों को रु. 15,339.00 लाख ऋण प्रदाय।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 282 सड़कें लंबाई 4,228.46 कि.मी. एवं 75 वृहद पुल पूर्ण।
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना—योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 261 गौरवपथ, लंबाई 94 कि.मी. पूर्ण।

ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत राजव्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों (11वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255.45 लाख है। जहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है।

12.1 वर्तमान में प्रदेश में 28 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 ग्राम पंचायतें तथा 20,126 ग्राम हैं एवं पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतें तथा 20,255 ग्राम स्थापित हैं किन्तु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन नगरीय क्षेत्र की स्थापनोपरांत कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 11,651 तथा ग्रामों की संख्या 20,234 है। प्रदेश के कुल 28 जिलों में से 14 जिले पूर्णरूपेण एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 85 जनपद पंचायतें एवं 5,050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। पंचायतराज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केन्द्र से प्राप्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में गाँव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका – 12.1 ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति							
मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
छ.ग: कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	9.42	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
छ.ग: ग्रामीण जनसंख्या (%)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (%)		12.98	20.38	15.23	25.98	20.97	29.61
छ.ग: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जन संख्या के अनुपात में (%)	95.12	91.66	89.62	85.31	82.60	79.91	76.76
भारत: कुल जनसंख्या (लाख)	3611	4392	5482	6833	8464	10287	12109
भारत: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	13.31	21.64	24.8	28.66	23.87	21.54	17.7
भारत : ग्रामीण जनसंख्या (लाख)	2987	3603	4391	5238	6288	7426	8338
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		20.62	21.87	19.29	20.05	18.10	12.28
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (लाख)		616	788	847	1050	1138	912
भारत: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में (%)	82.72	82.04	80.10	76.66	74.29	72.19	68.86

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशकों में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पायी गयी है। जहां वर्ष 1951 में कुल जन संख्या का ग्रामीण भाग 95 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 77 प्रतिशत तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 12.2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक						
सूचकांक	2019-21			2019		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर				22.2	23.6	17.6
कुल प्रजनन क्षमता दर	1.8	1.9	1.4			
शिशु मृत्यु दर	44.3	48.7	26.2	40	41	34
5 साल के नीचे मृत्यु दर	50.4	55.8	28.9			
अशोधित मृत्यु दर				7.3	7.7	6.2
Source:- NFHS 2019-21				Source:- SRS 2019		

12.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ-सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक हैं, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

निम्न तालिकाओं में छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

तालिका 12.3 जीवित जन्म 2008-20 संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत													
मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8	57.9	50.7	59.2	73.8	80.5	88.0
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0	68.2	47.6	40.0	52.3	37.7	40.5	85.7
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2	73.9	72.2	73.4	36.1	40.0	90.4

Source : Annual Vital Statistics Report

तालिका 12.4 मृत्यु 2008-20 संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत													
मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9	29.1	30.5	36.8	40.8	39.9	26.2
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5	20.9	22.6	25.3	21.0	13.9	9.9
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56.8	46.3	49.5	56.0	19.9	21.0	51.2

Source : Annual Vital Statistics Report

राज्य में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं यथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आजीविका मिशन (NRLM) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना आदि कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास

योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

12.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक— 07 सितम्बर, 2005 को जारी की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में 02 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2007 से 04 जिले (रायपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

12.3.1 उद्देश्य :-

- अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।
- किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू है।
- योजनांतर्गत महिलाओं को कार्य करने में प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिये अधिनियम के तहत ऐसी महिलाएं, जो जॉबकार्ड धारक हैं और रोजगार हेतु आवेदन करती हैं; उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले में कम से कम एक तिहाई महिला लाभान्वित हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) रोजगार के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें योग्यता एवं क्षमता अनुसार काम दिया जाता है।
- काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा "छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम-2013" बनाया गया है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

- वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है।
- योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक/डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु ₹0 193/- प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कुछ कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है :- भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु—कुआँ खोदने के लिये पंप सेट, कम्प्रेसर हैमर, लिफ्ट डिवाइस, सड़क निर्माण के लिये—पावर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड वाटर ब्रोसर, स्टैटिक स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8-20 टन वेट, मैकिनकल मिक्सर, मैकिनकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिये—मिक्सर और मैकिनकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन—मशीन फार सी एस ई बी का ब्रिक्स/ब्लॉकमेकिंग मशीन, मेकेनिकल ऑंगर प्रावधान किया गया है।

12.3.2 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :-

- भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से “सामाजिक अंकेक्षण इकाई” का गठन किया गया है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु “छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम, 2012” बनाया गया है।
- शिकायतों के तत्काल पिटारे के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था की गई है।
- योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य द्वारा www.mgnrega.cg.gov.in में ऑनलाईन व्यवस्था की गई है।
- पारदर्शिता तथा Realtime MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है।

- महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण (निपटारे) के लिए जिला स्तर पर योजनांतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, राज्य के सभी 28 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है।
- जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया है।

12.3.3 गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण :—

- योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत निगरानी की व्यवस्था की गयी है। राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं।
- योजनांतर्गत गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के सतत पर्यवेक्षण के साथ ही राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के द्वारा भी आबंटित जिलों में निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
- **BFT (Barefoot Technician) प्रणाली:**— निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट तकनीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। इनका कार्य कामों का चिन्हाकन, ले-आउट करना, किये गये कार्यों का माप करना एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने में तकनीकी सहायक को सहायता करना है।
- **GIS (Geographic Information System) प्रणाली :**— भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु NRSC (National Remote Sensing Center) के माध्यम से केंद्रीय कृत GIS प्रणाली Geo-MGNREGA को क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों को मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से Geo-tagged (latitude & longitude) फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
- **जनमनरेगा :**— भारत सरकार द्वारा आमजनों के लिये महात्मा गांधी नरेगा की मूलभूत जानकारी तथा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के Geo-tagged के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराये गये हैं। जिसे आमजन जनमनरेगा एप पर देख सकते हैं।
- **Mobile Monitoring System (MMS):**— भारत सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यों के कार्यस्थल से मस्टररोल उपस्थिति लेने हेतु मोबाईल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

12.3.4 भुगतान प्रक्रिया :-

- मजदूरी भुगतान समय पर करने के उद्देश्य से PFMS/e-FMS प्रणाली प्रारंभ की गई है। योजना के समस्त भुगतान PFMS/e-FMS से श्रमिकों के बैंक/पोस्ट के खाते में किये जा रहे हैं। नवम्बर, 2016 से NeFMS के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की जा रही है।
- **SECURE SOFTWARE :-** भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति आनलाईन प्रदान करने हेतु "SECURE SOFTWARE" (software for estimate calculation using rural rate for employment) का राज्य के सभी 27 जिलों में वर्ष 2018-19 से प्रारंभ किया जा चुका है। जो MIS से लिंक है।

12.3.5 विलंबित मजदूरी भुगतान के लिये मुआवजा :- महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) के अनुसार, श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के भुगतान के हकदार होते हैं मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के पंद्रह दिन के अंदर भुगतान पाने के हकदार है। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिये भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजे के भुगतान के लिये हकदार होता है।

12.3.6 मातृत्व अवकाश भत्ता :- राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जो विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

12.3.7 कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं:- कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशुघर (Creche) की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है।

12.3.8 प्रगति :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 अप्रैल से मार्च 20 वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल से सितम्बर एवं अप्रैल से मार्च 2021 तक की प्रगति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह सितम्बर 2021 तक की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :-

तालिका क. 12.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वर्षवार प्रगति						
क्र.	मद	2018-19	2019-20	2020-21		2021-22
		अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.
1	पंजीकृत परिवार (लाख में)	37.34	38.08	39.81	40.94	40.60
2	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवार की संख्या (लाख में)	24.32	24.41	26.30	30.60	22.46
3	उपलब्ध राशि (करोड़ में)	3202.30	3041.88	2862.71	4537.79	2679.20
4	व्यय राशि (करोड़ में)	3106.22	2860.05	2653.69	4419.35	2270.06
5	सृजित मानव दिवस (लाख में)	1369.48	1356.17	977.54	1840.93	737.82
6	महिलाओं का प्रतिशत	50%	51%	50%	50%	50%
7	स्वीकृत कार्य संख्या (स्पील ओवर सहित)	8.77	7.02	4.31	5.25	3.48
8	100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या	418270	4,13,885	93,464	6,11,991	32,405

12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान” (NRLM) :- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है। योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है एवं मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाना है।

12.5 सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund) :- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व-सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60-75 हजार रुपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी वापसी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है।

सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन (Cluster Level Federation-CLF) के लिये अनुदान है, परन्तु ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह एवं उनके सदस्यों के लिये ऋण के रूप में दिया जाता है। जहां पर संकुल स्तरीय संगठन का गठन हो चुका है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि सीएलएफ के माध्यम से दिया जाता है, परन्तु जिस विकासखण्ड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि की राशि सीधे महिला स्व-सहायता समूहों को जनपद के माध्यम से दिया जा रहा है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका क. 12.6 सामुदायिक निवेश कोष					
क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व-सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि
			स्व-सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर तक)	3,000	2,566	1,539.60	86%
2	2020-21 (अप्रैल से मार्च तक)	3,000	4,342	2,605.18	145%
3	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर तक)	25,321	14,447	8,669.20	57%

12.6 चक्रिय निधि (Revolving Fund) :- चक्रिय निधि की परिकल्पना स्व-सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वैसे स्व-सहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन-देन, नियमित ऋण वापसी तथा नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण) का पालन कर रहे हों, उन्हें 15,000/- रुपये की राशि चक्रिय निधि के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

12.7 बैंक लिंकेज :- महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व-सहायता समूहों को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व-सहायता समूह 3% के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि स्व-सहायता समूह के सदस्य अपनी आजीविका संबंधी गतिविधि को बढ़ावा दे सकें। प्रदेश में वर्तमान में कुल 1,89,495 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित स्व-सहायता समूह हैं।

तालिका क्र. 12.7 चक्रिय निधि					
क.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व-सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि
			स्व-सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर)	12,500	9,148	1372.20	73%
2	2020-21 (अप्रैल से मार्च)	12,500	19,163	2874.45	153%
3	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	50,583	24,129	3619.35	48%

12.8 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) :- पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कौशल उन्नयन विशेष परियोजना को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) लागू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत एक परियोजनावधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल हैं। कौशल उन्नयन अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को विभिन्न व्यवसाय अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाकर कम से कम 70 % प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं (Formal Sector) में जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 97 परियोजनाएं लागत राशि रु. 798 करोड़ एवं 74,976 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत हैं।

तालिका क्र. 12.8 स्व-सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज					
क्र	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व- सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि
			स्व-सहाय ता समूह	राशि (लाख में)	
1	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर)	22755	18421	12250.14	81%
2	2020-21 (अप्रैल से मार्च)	45480	66539	63362.00	146%
3	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	83000	19764	15339.00	24%

12.9 रोशनी कार्यक्रम (नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना) :- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 08 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांगेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव तथा बलरामपुर शामिल किया गया है। इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। लगभग 15,000 युवाओं को आगामी 3 वर्षों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रोशनी परियोजना अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन भी किया जावेगा। इन प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर भी किया जा सकता है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 28 परियोजना राशि रु. 127 करोड़ एवं 13,623 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत हैं।

तालिका 12.9 R-SETI (Rural Self Employment Training Institute)				
क्र.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (युवाओं की संख्या)	उपलब्धि (प्रशिक्षित युवा)	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि
1	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर)	6340	283	4%
2	2020-21 (अप्रैल से मार्च)	12680	7003	55%
3	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	6060	3492	57%

12.10 R-SETI (Rural Self Employment Training Institute) :- ग्रामीण बी.पी.एल हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश के अविभाजित 18 जिलों में आर-सेटी केन्द्र स्थापित हैं, जिसमें 11 भारतीय स्टेट बैंक, 05 देना बैंक तथा 02 सेन्ट्रल बैंक द्वारा संचालित है, इन सभी केन्द्रों में संबंधित बैंकों द्वारा आर-सेटी संचालकों की पदस्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण व आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिये रु. एक करोड़ की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य के समस्त अविभाजित 18 जिलों में संबंधित जिले के लीड बैंक को प्रशिक्षण भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आबंटित की गई है। अब तक 17 आर-सेटी भवन पूर्ण किये गये हैं एवं रायपुर आरसेटी का भवन निर्माण प्रगति पर है तथा इन्हीं केन्द्रों में प्रशिक्षण का कार्य संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका क. 12.10 वर्षवार भौतिक प्रगति				
स. क्र.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध भौतिक प्रगति	
			पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
1	2016-17	2,32,903	2,26,360	6,543
2	2017-18	2,06,372	2,00,898	5,474
3	2018-19	3,48,960	3,25,162	23,798
4	2019-20	1,51,100	68,905	82,195
5	2020-21	1,57,815	—	—
योग		10,97,150	8,21,325	1,18,010

वर्ग-1 हेतु रु. 42.40 /—, प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग-2 हेतु रु. 36.50 /— एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग-3 हेतु रु. 30.20 /— प्रति घण्टा प्रति हितग्राही की दर से व्यय का प्रावधान है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 200 घण्टे निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12,120 लक्ष्य (बीपीएल हितग्राही) के विरुद्ध 3,492 स्वरोजगारियों का प्रशिक्षण (माह सितम्बर 2021 तक) पूर्ण कर लिया गया है। अब तक कुल 1,03,275 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

12.11 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :- “प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है।”

पीएमएवाई—जी की मुख्य विशेषताएं —

- आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर (आईएवाई के अंतर्गत) से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है। जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
- मैदानी क्षेत्रों में पूर्व से इकाई सहायता को 70,000 रु. से बढ़ाकर 1.20 लाख रु. और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में 75,000 से बढ़ाकर 1.30 लाख रु. प्रावधानित किया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के आधार पर किया जाता है।
- सामान्य क्षेत्र के हितग्राही को आवास निर्माण हेतु कुल राशि रु. 1.47 लाख (इकाई लागत रु. 1.20 /— लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी तथा शौचालय सहित) IAP जिलों में कुल राशि रु. 1.58 लाख (इकाई लागत रु. 1.30 /— लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 95 दिन की मजदूरी तथा शौचालय सहित) अनुदान दिया जा रहा है।

- ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में दर्शाए गए अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदण्डों के आधार पर ही किया जाता है।
- लाभार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किया जाता है, जिसमें वे खाते भी शामिल हैं जिनमें उनकी सहमति से आधार संख्या की संबद्धता किये जा चुके हैं।
- पीएमएवाई-जी के संबंध में लाभार्थियों को समय-समय पर आवश्यक जानकारी हितग्राही उन्मुखीकरण के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।
- स्थानीय सामग्रियों, डिजाइनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास का निर्माण किया जा रहा है।

पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण – पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण सामाजिक-आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर किया गया है :—

- स्वतः शामिल परिवार (100 प्रतिशत)
- शून्य कमरे वाले परिवार 5326 (100 प्रतिशत)
- सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल—1438 (100 प्रतिशत)
- सांसद आदर्श ग्राम और रुरबन के चयनित ग्रामों में सभी पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित करना।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार 22,773 (100 प्रतिशत)
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं (60 प्रतिशत)
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है (40 प्रतिशत)
- पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत/काउंसिल या संबंधित राज्य/सं.शा. क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व-शासन की सबसे निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग-अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किया जाता है। तत्पश्चात ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

योजनातर्गत हितग्राहियों का चयन समाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर ग्रामसभा के अनुमोदन द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के आवास साफ्ट पोर्टल से प्राप्त 25 लाख परिवारों की सूची व ग्रामसभा सत्यापन कर अपीलिय समिति के अनुमोदन उपरांत कुल 18,77,159 पात्र परिवारों का स्थायी प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया गया है।

प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्य के विरुद्ध स्थायी प्रतीक्षा सूची से हितग्राहियों का चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्षवार लक्ष्य से लाभांशित करने के उपरांत स्थायी प्रतीक्षा सूची की स्थिति निम्नानुसार है :-

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक योजनातर्गत कुल 10,97,150 का लक्ष्य प्रदाय किया गया, जिसके पश्चात् स्थायी प्रतीक्षा सूची में 7,80,009 पात्र हितग्राही शेष थे। क्योंकि योजना वर्ष 2022 तक लक्षित है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 हेतु कुल लक्ष्य 10,97,150 के विरुद्ध 8,21,325 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 1,18,010 आवास निर्माणाधीन हैं, जिन्हें हितग्राहियों द्वारा स्वयं प्रेरित होकर बनाया जा रहा है।

तालिका क्र. 12.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राशि करोड़ रु. में, लंबाई कि.मी. में)					
क्र.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	पूर्ण वृहद पुल की संख्या	व्यय राशि
1	2019-20 (अप्रैल से सितम्बर)	153	126.59	24	577.86
2	2019-20 (अप्रैल से मार्च)	425	1743.79	48	971.98
3	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर)	93	131.11	20	362.89
4	2020-21 (अप्रैल से मार्च)	282	4228.46	75	1546.46
5	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	133	305.32	4	600.20

12.12 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :- गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि "सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है"। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

योजना के प्रारंभ से अब तक 8,539 सड़कें, लंबाई 42,524 किमी. एवं 375 वृहद पुल कुल राशि रु. 16,128 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। माह-सितम्बर 2021 तक 7,631 सड़कें, 38,038 किमी. लंबाई एवं 323 वृहद पुल पूर्ण कर रु. 13,273 करोड़ का व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.12 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (राशि करोड़ रु. में, लंबाई कि.मी. में)				
क्र.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
1	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर)	10	27.58	24.41
2	2020-21 (अप्रैल से मार्च)	98	387.49	170.80
3	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	59	133.01	45.70

12.13 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :- 23 अप्रैल 2011 से शत-प्रतिशत राज्य पोषित योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं हैं, को डामरीकृत/पक्के मार्गों से जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकासखण्डों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या (2011 जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।

योजना अंतर्गत अद्यतन निर्माण योग्य 1,771 सड़कें, लंबाई 5,361.90 कि.मी., राशि रु. 2,726.40 करोड़ स्वीकृत है। माह-सितम्बर 2021 तक 1,591 सड़कें, लंबाई 4,580.94 कि.मी., लंबाई पूर्ण कर रु. 2,098.56 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.13 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना (राशि करोड़ रु. में, लंबाई कि.मी. में)				
क्र.	वर्ष	पूर्ण गौरवपथ की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
(अ)	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर तक)	146	49.91	14.66
	2020-21 (अप्रैल से मार्च तक)	261	94.00	50.30
(ब)	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर तक)	13	6.70	6.27

12.14 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना :- वर्ष 2012-13 से लागू। सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण (शहरो में गौरव पथ के तर्ज पर), कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6.00 मी. चौड़ाई की सड़क, बीच में 4.00 मी. चौड़ाई में कांक्रीट मार्ग निर्माण, 0.50 मी. चौड़ाई में दोनों तरफ कांक्रीट पेविंग/खरंजा तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मी. चौड़ाई में "V" आकार की नाली का निर्माण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने के निर्देश हैं।

इस योजना अंतर्गत अब तक 7,070 कार्य, लंबाई 2,032.58 कि.मी., लागत रु. 1,240.20 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, अद्यतन कुल 7,061 ग्राम गौरवपथ, लंबाई 2,089.00 कि.मी. पूर्ण कर

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

राशि रु. 1,034.80 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2021-22 में इस योजना में पुराने कार्य हेतु राशि रु. 15.00 करोड़ एवं नये कार्य हेतु राशि रु. 66.00 करोड़, कुल राशि रु. 81.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। माह सितंबर 2021 तक 6.27 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.15 सांसद आदर्श ग्राम योजना :- 11 अक्टूबर, 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई।

12.15.1 प्रथम चरण :- प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया, जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 1,670 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यों की संख्या 1,560 है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या 13 एवं 97 कार्य अप्रारंभ हैं।

12.15.2 द्वितीय चरण :- द्वितीय चरण में माननीय सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया, जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया, जिसमें कुल 1,027 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यों की संख्या 846 है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या 18 एवं 163 कार्य अप्रारंभ हैं।

12.15.3 तृतीय चरण :- तृतीय चरण में माननीय सांसदों द्वारा 12 ग्रामों का चयन किया गया, जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें कुल 581 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यों की संख्या 422 है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या 25 एवं 134 कार्य अप्रारंभ हैं।

12.15.4 चतुर्थ चरण :- चतुर्थ चरण में माननीय सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 14 ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित 14 ग्रामों में से 11 ग्रामों का VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 316 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यों की संख्या 143 है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या 18 एवं 155 कार्य अप्रारंभ है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रक्रियारत है।

12.15.5 पंचम चरण :- पंचम चरण में माननीय सांसदों द्वारा 13 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 4 ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों में से 1 ग्राम का VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें कुल 69 कार्यों को शामिल किया गया है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रक्रियारत है।

12.15.6 षष्ठम चरण :- षष्ठम चरण में माननीय सांसदों द्वारा 12 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 4 ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित ग्रामों में से 2 ग्रामों का VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 85 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यों की संख्या 3 है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या 7 एवं 75 कार्य अप्रारंभ है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रक्रियारत है।

12.15.7 सप्तम चरण :- सप्तम चरण में माननीय सांसदों द्वारा 10 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 5—ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रक्रियारत है।

12.15.8 अष्टम चरण :- अष्टम चरण में माननीय सांसदों द्वारा 10 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 3—ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रक्रियारत है।

12.16 विधायक आदर्श ग्राम योजना :- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर विधायकों से भी एक-एक ग्राम पंचायत को विकसित करने का सुझाव दिया गया। जिसके तारतम्य में 01 अप्रैल 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है।

12.16.1 प्रथम चरण— प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों द्वारा एक-एक ग्राम का चयन किया गया। जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 8,630 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यों की संख्या 3,018 है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या 316 एवं 5,296 कार्य अप्रारंभ हैं।

12.16.2 द्वितीय चरण— द्वितीय चरण के दौरान माननीय विधायकों द्वारा 81 ग्रामों का चयन किया गया जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 2,125 कार्य को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यों की संख्या 966 है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या 67 एवं 1,091 कार्य अप्रारंभ है।

12.16.3 तृतीय चरण — तृतीय चरण के दौरान माननीय विधायकों द्वारा 68 ग्रामों का चयन किया गया जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें कुल 1,660 कार्य को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यों की संख्या 160 है। प्रगतिरत कार्यों की संख्या 31 एवं 1,468 कार्य अप्रारंभ है।

12.17 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :- 02 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में पूरे राष्ट्र को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौचमुक्त किया जाना था। प्रचार-प्रसार के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ-सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट को उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

प्रदेश को खुले में शौचमुक्त किए जाने के क्रम में वर्ष 2012 में हुए आधारभूत सर्वेक्षणों के अनुसार प्रदेश में कुल 26,76,670 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण लक्षित था। वर्ष 2012 के

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

सर्वेक्षणों में छोटे एवं बड़े हुए परिवारों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में कुल 32,39,197 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण हुआ। प्रदेश के समस्त 10,971 ग्राम पंचायतों में से 10,728 ग्राम पंचायतें (LWE क्षेत्रों की 246 ग्राम पंचायतों को छोड़कर) 04 जनवरी, 2018 को खुले में शौच मुक्त हुए।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस 2 :- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यानुसूच 02 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र खुले में शौचमुक्त घोषित हुआ। 01 अप्रैल, 2020 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेस-2 की शुरुआत हुई जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च, 2025 तक किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के घटक निम्नानुसार हैं :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध राशि रु. 740.11 करोड़ के विरुद्ध 454.35 करोड़ का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 (माह सितंबर, 2020 की स्थिति) में उपलब्ध राशि रु. 290.78 लाख रु. के विरुद्ध 50.10 करोड़ रूपयों की राशि का व्यय हुआ।

तालिका क. 12.14 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भौतिक प्रगति					
क्र.	मद	वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22 (अक्टूबर, 2021)	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	87383	10561	154418	28929
2	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	3522	49	4853	509
3	सामुदायिक शौचालय	7018	2125	6031	2775

1. **12.18 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन योजना :-** श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से दिनांक 21.02.2016 को की गई। मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जन-जीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गांवों के क्लस्टर को "रूरुन गांव" के रूप में विकसित करना है।

2. **लक्ष्य:-** मिशन अंतर्गत देशभर में कुल 300 रूरुन क्लस्टर का सृजन किया जाना है। उक्त लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ राज्य से तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया है, जिसमें 12 जनजातीय क्लस्टर तथा 07 गैर-जनजातीय क्लस्टर शामिल हैं।

3. **भौतिक उपलब्धि :-** योजनांतर्गत चयनित समस्त 19 में से 18 क्लस्टर के विस्तृत कार्ययोजना (डी.पी.आर.) को राज्य स्तरीय सशक्त समिति एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। डीपीआर में सम्मिलित कुल 7,725 कार्यों में से अक्टूबर 2021 तक 5,216 (67.52%) कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिसमें से CGF अंतर्गत कुल 4,715 कार्यों में से 3,093 (65.60%) व अभिसरण अंतर्गत कुल 3,010 कार्यों में 2,123 (70.53%) कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

4. **वित्तीय उपलब्धि :-** योजनांतर्गत आवश्यक पूरक वित्त पोषण (सीजीएफ) मद में राज्य को कुल राशि रूपए 285 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जबकि कुल स्वीकृत सी.जी.एफ. राशि रु. 375.00 करोड़ है,

जिसके विरुद्ध राशि रूपए 235.00 करोड़ (62.66%) का व्यय किया जा चुका है एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं (अभिसरण मद) से लक्षित राशि रु. 1,066.34 करोड़ के विरुद्ध राशि रूपए 712.57 करोड़ (66.82%) का व्यय किया जा चुका है।

5. स्थानिक नियोजन:—मिशन अंतर्गत क्लस्टर के सुव्यवस्थित सृजन हेतु स्थानिक नियोजन प्रक्रिया को विशेष प्राथमिकता दिया जा रहा है। राज्य के 18 क्लस्टर का क्षेत्र सीमांकन अधिसूचना प्रकाशन का कार्य पूर्ण। अभी तक 08 रूबर्न क्लस्टरों (भंवरपुर जिला महासमुन्द, मुरमुंदा जिला राजनांदगाव, मड़पाल जिला बस्तर, रघुनाथपुर जिला सरगुजा, हरदीबाजार जिला कोरबा, कुंडा जिला कबीरधाम, रामपुर जिला धमतरी एवं बड़ेकापसी जिला कांकेर) का स्ट्रक्चरल प्लान तैयार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही सभी 18 क्लस्टर के स्ट्रक्चरल प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. एम.आई.एस.प्रगति:—चयनित सभी 18 क्लस्टर के विस्तृत कार्ययोजना को एमआईएस पोर्टल पर एन्ट्री पूर्ण करने वाला देश का पहला राज्य है। वर्तमान में समस्त क्लस्टर में रूबर्न सॉफ्ट पोर्टल पर FTO के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। मिशन अंतर्गत जीओ टैगिंग का पायलट करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है तथा अभी तक कुल 5,089 (91.00%) कार्यों की जीओ टैगिंग पूर्ण कर ली गई है।

7. राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि —भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय जारी पत्र क्रमांक K-11033/10/2018-Rurban-Part2 दिनांक 08.01.2021 अनुसार छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है।

8. भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रूबर्न क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के 13 क्लस्टरों को शामिल किया गया है।

प्राप्त पुरस्कारों का विवरण :-

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति दिनांक	पुरस्कार का विवरण
1	2016-17	08 दिसम्बर 2017	“पूर्वीय राज्यों में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफार्मिंग स्टेट”
2	2017-18	11 सितम्बर 2018	“देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफार्मिंग स्टेट”
3	2018-19	19 दिसम्बर 2019	1) “देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफार्मिंग स्टेट” 2) “पहला FTO जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी” में भी प्रथम पुरस्कार

12.19 रोजगार सेवा —

12.19.1 युवा क्षमता विकास योजना :- प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पारकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए “युवा क्षमता विकास योजना” प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान है—

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

- (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।
- (ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रु. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।
- (ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रु. 1,000 /— प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रु. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।
- (घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रु. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

योजान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 4.60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.19.2 रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजन :- प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रोजगार के 92 प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये हैं।

निजी क्षेत्रों में रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने के शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करने, प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.19.3 भारतीय सैन्य बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण :- छत्तीसगढ़ शासन के दूरदर्शी नीति के फलस्वरूप भारतीय सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों हेतु भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के युवाओं की भागीदारी भारतीय सैन्य बलों में बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। शासन द्वारा रोजगार विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर भारतीय सैन्य बलों की भर्ती रैली के सफल आयोजन एवं उन रैलियों में राज्य के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार विभाग के माध्यम से की जाती है। इसका सुपरिणाम राज्य के युवाओं के चयन में निरंतर वृद्धि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 64 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

“रोजगार पक्ष” की विभागीय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है—

तालिका 12.15 रोजगार पक्ष की विभागीय योजनाओं का विवरण (राशि लाखों में)													
क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21 (अप्रैल से सित.)				वर्ष 2020-21 (अप्रैल से मार्च)				वर्ष 2021-21 (अप्रैल से सित.)			
		उपलब्धि				उपलब्धि				उपलब्धि			
		भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय		
			प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	युवा क्षमता विकास योजना	0	200.00	0	0	4166	200.00	20.83	20.83	0	460.00	0	0
2	रोजगार मेला	813	51.00	3.79	7.43	1808	51.00	32.13	63.00	411	100.00	2.57	2.57
3	सेना भर्ती	0	44.00	0.57	1.30	0	44.00	14.40	32.73	0	64.00	0.22	0.34